निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 14 पटना, बुधवार, 17 चैत्र, 1932 (श0) / 7 अप्रील, 2010 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-8
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	9-10
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	11-12

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

17 मार्च 2010

एस0ओ0 69, दिनांक 7 अप्रील 2010—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3828, दिनांक 24 अगस्त 2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अर्जुन प्रसाद श्रीवास्तव, अधिवक्ता, मोतिहारी जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 24 अगस्त 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि	अर्हता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अर्जुन प्रसाद श्रीवास्तव,	व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी	24.08.09	एम0ए0 एल0एल0बी0	मोतिहारी जिला	

(सं0सं0-ए0/नोट-28/01/1254/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

17 मार्च 2010

एस0ओ0. 70, एस0ओ0 69 दिनांक 7 अप्रील 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-28/01/1254/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

The 17th March 2010

S.O. 69 dated 7th April 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arjun Pd. Srivastava and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no.3828, dated 24th August 2004 to practice as notary from 12th March 2001 to 11th March 2006 and again for the next five years from 24th August 2009

Name of Notary	Residential/ Professional address	Date of which the name of Notary has been entered in the Register	Qualification	Area in which Notary to practice.	Remarks
1	2	3	4	5	6
Sri Arjun Pd. Srivastava	Civil Court, Motihari	24.08.04	M.A. L.L.B.	Motihari District	

(File no.-A/Not-28/01/1254/J)
By order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA, *Secretary.*

कृषि विभाग

अधिसूचना
9 मार्च 2010

सं० 1/ए०जी०–06/2010–1345–कृ०—विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग रहित) की अनुशंसा के आलोक में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–9 (सांख्यिकी) अन्तर्गत वेतनमान रु० 5000–8000 (अपुनरीक्षित) में कार्यरत निम्नांकित सांख्यिकी सहायकों को उसी कोटि में बिहार कृषि सेवा वर्ग–2 के जिला योजना एवं मूल्यांकन पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर वेतनमान रु० 6500–10500 (अपुनरीक्षित) में नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

2. प्रोन्नति का लाभ अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात वर्ग–2 के पद पर पद–ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वरीयता क्रमांक	वर्ग–2 के पद पर प्रोन्नति की देय तिथि
1	श्री अरूण कुमार सिंह, सांख्यिकी सहायक	01	पद–ग्रहण करने की तिथि से
2	श्री योगेन्द्र सिंह, सांख्यिकी सहायक	02	पद–ग्रहण करने की तिथि से
3	श्री अशोक कुमार यादव, सांख्यिकी सहायक	03	पद–ग्रहण करने की तिथि से
4	श्री एम० मसरूर रहमानी, सांख्यिकी सहायक	04	पद–ग्रहण करने की तिथि से
5	श्री सुभाष नारायण सिंह, सांख्यिकी सहायक	05	पद–ग्रहण करने की तिथि से
6	श्री विपिन कुमार, सांख्यिकी सहायक	06	पद–ग्रहण करने की तिथि से
7	श्री रामदेव प्रसाद यादव, सांख्यिकी सहायक	08	पद–ग्रहण करने की तिथि से
8	श्री मिथिलेश कुमार, सांख्यिकी सहायक	09	पद–ग्रहण करने की तिथि से
9	श्री रहमतुल्ला, सांख्यिकी सहायक	10	पद–ग्रहण करने की तिथि से
10	श्री करूण कुमार सिन्हा, सांख्यिकी सहायक	12	पद–ग्रहण करने की तिथि से
11	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सांख्यिकी सहायक	13	पद–ग्रहण करने की तिथि से

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वरीयता क्रमांक	वर्ग–2 के पद पर प्रोन्नति की देय तिथि
12	श्री जीवन, सांख्यिकी सहायक	14	पद–ग्रहण करने की तिथि से
13	श्री अरूण चन्द्र लाल दास, सांख्यिकी सहायक	15	पद–ग्रहण करने की तिथि से
14	श्री रामचन्द्र प्रसाद, सांख्यिकी सहायक	16	पद–ग्रहण करने की तिथि से
15	श्री अनन्त लाल झा, सांख्यिकी सहायक	17	पद–ग्रहण करने की तिथि से
16	श्री देवचन्द्र मिश्र, सांख्यिकी सहायक	18	पद–ग्रहण करने की तिथि से
17	श्री अशविन्द कुमार, सांख्यिकी सहायक	23	पद–ग्रहण करने की तिथि से
18	श्री नागेन्द्र सहनी, सांख्यिकी सहायक	24	पद–ग्रहण करने की तिथि से

3. श्री श्यामचन्द्र भगत (आरोपित) के लिए सुरक्षित पद के विरूद्ध श्री नागेन्द्र सहनी को उनसे प्राप्त सहमति के आधार पर स्थानापन्न रूप में इस शर्त्त के साथ प्रोन्नति दी जा रही है कि श्री भगत को प्रोन्नति के योग्य पाये जाने पर श्री सहनी अपने पूर्व पद पर वापस लौट जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
नथुनी शरण, अवर सचिव।

लोकायुक्त का कार्यालय

अधिसूचना
7 जनवरी 2010

सं0 3/लोक(स्था0)1/87–04—बिहार लोकायुक्त की कार्यालय आदेश संख्या 673, दिनांक 26 नवम्बर 2009 के आलोक में श्री जनार्दन शर्मा, लोकायुक्त के आप्त सचिव को लोकायुक्त के प्रधान आप्त सचिव के पद पर दिनांक 26 नवम्बर 2009 के पूर्वाह्न से योगदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार लोकायुक्त के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
लोकायुक्त के उप–सचिव।

कार्यालय–आदेश
26 नवम्बर 2009

सं0 3/लोक(स्था0)1/87–673—बिहार लोकायुक्त (सेवाशर्त्ते) नियमावली 1974 के नियम 23 एवं 24 के आलोक में इस कार्यालय के आशुलिपिक संवर्ग में लोकायुक्त के आप्त सचिव के पद से संपरिवर्तित लोकायुक्त के प्रधान आप्त सचिव के पद पर श्री जनार्दन शर्मा, आप्त सचिव को वेतनमान रु० 10,000–325–15,200 में आदेश निर्गत तिथि से प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार लोकायुक्त के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
लोकायुक्त के उप–सचिव।

अधिसूचना
7 दिसम्बर 2009

सं0 3/लोक(स्था0)28/2001–700/लोक—बिहार लोकायुक्त (सेवाशर्त्तें) नियमावली, 1974 के नियम 23 एवं 24 के आलोक में इस कार्यालय में रिक्त प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर इस कार्यालय के सहायक, श्री नासिरूद्दीन अंसारी को वेतनमान रु० 6500–200–10500 (औपबंधिक वेतनमान 9300–34800) में प्रोन्नत किया जाता है। सम्प्रति श्री अंसारी द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत इससे उच्च वेतनमान में हैं, अतः इस आदेश से उन्हें कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

बिहार लोकायुक्त के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
लोकायुक्त के अवर सचिव।

कार्यालय–आदेश
15 जनवरी 2010

सं० 3/लोक(स्था0 28/2001–23/लोक—लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना की अधिससूचना सं० 700/लोक, दिनांक 7 दिसम्बर 2009 के आलोक में श्री नासीरुद्दीन अन्सारी, सहायक का प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर योगदान दिनांक 7 दिसम्बर 2009 के पूर्वाह्न से स्वीकृत किया जाता है।

2. श्री अंसारी, प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सहायक के पद पर आवंटित अपने कायो के अतिरिक्त, प्रशाखा पदा० (स्था०/लेखा) के रूप में अगले आदेश तक कायो का निष्पादन करेंगे।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार लोकायुक्त के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
लोकायुक्त के अवर सचिव।

उद्योग विभाग

अधिसूचना
20 मार्च 2010

सं० 3(स०)/उ0स्था0(अवकाश)02/10–1236—श्री रामचन्द्र राय, संयुक्त निदेशक(तकनीकी), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 के अन्तर्गत दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से 10 जनवरी 2010 तक तथा दिनांक 18 जनवरी 2010 से 28 जनवरी 2010 तक कुल 23 (तेईस) दिनों का उपार्जित अवकाश तथा बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अन्तर्गत दिनांक 11 जनवरी 2010 से 17 जनवरी 2010 तक कुल 7 (सात) दिनों हेतु 14 (चौदह) दिनों के अर्ध–वेतन को 7 (सात) दिनों के पूर्ण वेतन में रूपान्तरित करने हेतु 14 (चौदह) दिनों के रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप–सचिव।

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचनाएं

27 मार्च 2010

सं0एन/गृ0को0-74-0024/2009-79—श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, सलाहकार पर्षद जे0पी0 सेनानी सम्मान योजना, बिहार, पटना के पत्र दिनांक 1 फरवरी 2010 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर श्री संजय कुमार सिंह, पिता-श्री राम नरेश सिंह, ग्रम-कसमरिया, पो0-ध्रुवडिहाँ, था0-चरपोखरी, जिला-भोजपुर, बिहार, पिन कोड-802207 को दिनांक 1 फरवरी 2010 के प्रभाव से कार्यकारी अध्यक्ष सलाहकार पर्षद के आप्त सचिव (बाह्य व्यक्ति) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

(1) यह नियुक्ति सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के परिपत्र संख्या 927, दिनांक 23 सितम्बर 2006 के निहित प्रावधान के आलोक में किया गया है।

(2) यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(3) माननीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री वशिष्ट नारायण सिंह के पद त्यागने के साथ ही आप्त सचिव के रूप में इनकी सेवा स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

27 मार्च 2010

सं०एन/गृ0को0-74-0024/2009-80-अध्यक्ष आचार्य राममूर्त्ति, सलाहकार पर्षद जे0पी0 सेनानी सम्मान योजना, बिहार, पटना के पत्र दिनांक 15 जनवरी 2010 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर श्री राम गुलाम सिंह, पिता-स्व0 अर्जुन प्रसाद सिंह, श्रम भारती खादी ग्रम, पो0-खादी ग्राम, थाना-बरहट, जिला-जमुई को दिनांक 1 जुलाई 2009 के प्रभाव से अध्यक्ष सलाहकार पर्षद के आप्त सचिव (बाह्य व्यक्ति) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

(1) यह नियुक्ति सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के परिपत्र संख्या 927, दिनांक 23 सितम्बर 2006 के निहित प्रावधान के आलोक में किया गया है।

(2) यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(3) माननीय अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति के पद त्यागने के साथ ही आप्त सचिव के रूप में इनकी सेवा स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

5 मार्च 2010

सं० प्र2/ज0 वि0 नि0–10/93 (खंड)–03––बिहार राज्य जल विद्युत निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 49(1)(ए) के अन्तर्गत बिहार राज्य जल विद्युत निगम के निदेशक मंडल में निम्नांकित निदेशकों को नियुक्त किया जाता है–

क्रम सं0	पदनाम	
1	प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग/सह अध्यक्ष, बि0 रा0 ज0 वि0 निगम, पटना	निदेशक
2	प्रबंध निदेशक, बि0 रा0 ज0 वि0 निगम, पटना	निदेशक
3	वित्त विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से अन्यून न हो	अंशकालीन निदेशक
4	जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि जो मुख्य अभियन्ता से अन्यून न हो	अंशकालीन निदेशक
5	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के प्रतिनिधि जो मुख्य विद्युत अभियंता से अन्यून न हो	अंशकालीन निदेशक
6	झारखंड सरकार के दो प्रतिनिधि	निदेशक

इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना को विलोपित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भु नाथ मिश्र, उप सचिव।

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

8 मार्च 2010

सं० 2/टी0–4/2010–381(2)––डा0 कृष्ण देव, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, डुमरिया, गया की सेवा–निवृति मात्र एक वर्ष शेष रहने के कारण उन्हें पटना जिला में स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

9 मार्च 2010

सं० 2/एम0–6/09–385(2)––डा0 पूर्णिमा रतन, चिकित्सा पदाधिकारी को बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध संस्थान कोयलवर में वेतन भुगतान की समस्या के कारण स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या 1362(2) दिनांक 13 अक्तूबर 2009 को संशोधित करते हुए कोयलवर यक्ष्मा अस्पताल, कोयलवर में पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध संस्थान कोयलवर में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

10 मार्च 2010

सं० 2/टी0–87/09–395(2)— डा0 (श्रीमती) कृष्णा सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, तेरेया, छपरा, सारण का पति–पत्नि के आधार पर सारण जिले से स्थानान्तरित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से मुजफ्फरपुर जिले में पदस्थापित किया जाता है ।

(2) यह स्थानान्तरण उनके अनुरोध पर किया गया है इसलिए इसमें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 03—571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

26 मार्च 2010

सं0 1/अ0प्र0–12–28/2007–3727—जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 625 गो0 दि0 23 जून 2009 एवं सचिव पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 12157 (एस) दिनांक 30 अक्तूबर 2009 द्वारा खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली–हथवन् शहरबन्नी पथ के अलौली से हथवन तक पथांश (लंबाई 3.50 कि0मी0) जो तत्काल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व में है, को लोकहित में पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने हेतु दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मांग की गयी।

तदनुसार ग्रामीण कार्य विभाग के पत्र सं0 5194 अनु0 दि0 16 जुलाई 2009 द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खगड़िया से उक्त पथ का दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मांग की गयी।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया के पत्रांक 1188 अनु0 दिनांक 5 अक्तूबर 2009 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अलौली–हथवन पथ (लम्बाई 3.50 कि0मी0) पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत है, तथा इस पथ पर कोई दायित्व लंबित नहीं है। पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण के लिए पी0एम0जी0एस0वाई0 कोषांग की सहमति भी प्राप्त है।

तदनुसार निम्न पथ को पथ निर्माण विभाग, बिहार को हस्तांतरित करने हेतु सरकार की अनापत्ति संसूचित की जाती है :–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की कुल लंबाई
1	खगड़िया/खगड़िया	अलौली–हथवन पथ	3.50 कि0मी0

जनक राम,
अभियंता प्रमुख।

8 फरवरी 2010

सं01/अ0प्र0–12–54/2007–1553—पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2779 (एस0) दिनांक 1 मार्च 2007 द्वारा पटना जिला अंतर्गत धनरूआ–टंड़वा–चन्धरिया पथ को पथ निर्माण विभाग में अधीग्रहण हेतु दायित्व रहित अनापति प्रमाण–पत्र की मांग की गयी थी। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक 3746, अनु0 दिनांक 28 जून 2007 से कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पटना से उक्त पथ का दायित्व रहित अनापति प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। जिसके अनुपालक में कार्यपालक अभियंता द्वारा पत्रांक 1535, दिनांक 5 दिसम्बर 2007 से उनके क्षेत्राधीन पथांस चन्धरिया टंड़वा का दायित्व रहित अनापति प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया। कार्यपालक अभियंता से प्राप्त प्रमाण–पत्र के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 1/अ0प्र0–12–54/2007/8173 दिनांक 26 दिसम्बर 2007 द्वारा चन्धरिया से टंड़वा पथ को जिसकी कुल लंबाई 4.75 कि0मी0 है, पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित हेतु विभाग की अनापति संसूचित की गयी है।

पुनः पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2388 (ई0), दिनांक 20 जून 2008 द्वारा उक्त पथ के शेष पथांस टंड़वा से धनरूआ पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हेतु अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गयी। इस पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 6377, अनु0 दिनांक 31 जुनाई 2008 द्वारा कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी से (उनके क्षेत्राधीन रहने के कारण) उक्त पथ का दायित्व रहित प्रमाण पत्र की मांग की गयी।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के पत्रांक 1194, अनु0 दिनांक 23 सितम्बर 2009 द्वारा सूचित किया गया कि टंड़वा से धनरूआ पथ पर कोई दायित्व लंबित नहीं है। साथ ही कार्यपालक अभियंता द्वारा इस

पथ को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने हेतु सहमति भी दी गयी है। इस पथ की कुल लंबाई (5.50 कि0मी0 पक्की + 2.00 कि0मी0 कच्ची) 7.50 कि0मी है।

तद्नुसार निम्न पथ को पथ निर्माण विभाग, बिहार को हस्तांतरित करने हेतु सरकार की अनापत्ति संसूचित की जाती है:–

क्र0सं0	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की कुल लंबाई
1	मसौढ़ी/पटना	टंड़वा से धनरूआ	7.50 कि0मी0

(ह0) अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता, 4 (मुख्यालय)।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 03—571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

वाणिज्य–कर विभाग

आदेश

12 मार्च 2010

सं० कौन/भी–803/99(खंड)–86––श्री रणजीत सिंह, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर सम्प्रति जिला लेखा पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से रु० 15,37,73,647 (रुपये पन्द्रह करोड़ सैंतिस लाख, तिहतर हजार, छः सौ सैंतालिस) मात्र की अवैध निकासी की गई। इसमें पशुपालन घोटालें से संबंधित सी. बी.आई कांड सं० 23(ए)/96 दि० 27 मार्च 1996, (जमशेदपुर) दायर किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या 157/सी० दिनांक 3 फरवरी 1996 द्वारा उन्हें अगले आदेश तक निलंबित किया गया एवं विभागीय आदेश सं० 231/सी० दिनांक 26 फरवरी 1996 द्वारा उन्हें सेवा बर्खास्त किया गया। इसके विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सं० 5500/96 दायर किया गया जिसमें दिनांक 10 नवम्बर 1997 को न्याय निर्णय पारित हुआ। उक्त न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 759 दिनांक 29 अगस्त 1998 द्वारा उनका निलंबन/बर्खास्तगी आदेश निलंबन/बर्खास्तगी की तिथि से रद्द करते हुए मुख्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया गया। विधि विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या 3343 दिनांक 21 जून 1999 द्वारा उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्हें न्यायिक हिरासत में दिनांक 6 जून 2000 से लिया गया जिसके कारण विभागीय अधिसूचना सं० 57 दिनांक 11 जनवरी 2002 द्वारा उक्त तिथि के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्शानुसार विभागीय अधिसूचना सं० 364 दिनांक 31 मई 2005 द्वारा उन्हें तत्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

2. उनके सहायक कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर के पदस्थापनकाल दिनांक 15 जुलाई 1995 से 31 जनवरी 1996 तक पशुपालन विभाग के 378 सी०एन०सी० विपत्रों द्वारा रु० 15,37,73,647 (पन्द्रह करोड़, सैंतिस लाख, तिहत्तर हजार, छः सौ सैंतालिस रुपये) मात्र के अवैध निकासी के मामले में सी०बी०आई० द्वारा दायर कांड सं० 23(ए)/96 में उनके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा उक्त कांड में दिनांक 23 अप्रील 2008 को न्याय निर्णय पारित हुआ जिसमें उन्हें 6 वर्षो का सश्रम कारावास एवं रु.11 (ग्यारह) लाख रुपये का अर्थदण्ड निर्धारित किया गया।

3. उक्त दोष सिद्धि के फलस्वरूप सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद –311 (2) (क) तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं० 2324 दिनांक 10 जुलाई 2007 में निहित प्रावधान के तहत श्री सिंह को सेवा बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः उन्हें तत्कालीक प्रभाव से सेवा बर्खास्त किया जाता है।

4. सेवा बर्खास्तगी के प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना एवं मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

15 मार्च 2010

सं० कौन/भी–107/2010–88––श्री सुरेश प्रसाद, बिहार वित्त सेवा, सम्प्रति वाणिज्य–कर उपायुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल द्वारा उनके अंचल प्रभारी बेगूसराय अंचल के पदस्थापनकाल में विद्युत शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में आदेश पारित नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार उन्हें भारतीय तेल निगम, बरौनी, बेगूसराय अंचल के संबंध में विद्युत शुल्क संबंधी कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना था। अतः इस वित्तीय अनियमितता के लिए वे दोषी पाये गये है।

2. अतः सरकार के निर्णयानुसार उन्हें 'चेतावनी' की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007–08 में की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 03–571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in